



14 दिसंबर ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर संदेश

युक्तियुक्त उपयोग ही ऊर्जा संरक्षण का सरल मार्ग

वैज्ञानिक प्रगति के साथ-साथ लोगों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति बिजली की खपत किसी भी देश के लोगों के जीवन स्तर का एक मापदंड समझा गया है। विश्व में भारत की ऊर्जा खपत सबसे तेज दर से बढ़ी है। इसके दो मुख्य कारण हैं—जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिक विकास की तीव्रतम गति। एक सर्वेक्षण के अनुसार ऊर्जा की खपत में भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। वर्तमान में भारत की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 1,70,228 मेगावाट है और लगभग 60,000 मेगावाट बिजली केंद्रों से उपलब्ध होती है। भारत में औसतन बिजली की कमी 8 से 9 प्रतिशत दर्ज की गई है, जो कि उच्चतम मांग के समय में 12 से 15 प्रतिशत तक पहुंच जाती है। एक आम भारतीय की औसतन बिजली खपत मात्र 631 किलोवाट घंटा है, जो विश्व की प्रति व्यक्ति आर्थिक मांग के 50 फीसदी की तुलना में बहुत कम है। सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लक्ष्य को अर्जित करने के लिए इसे बढ़ाना आवश्यक है। ऊर्जा के अभाव को कम करने के लिए ऊर्जा उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के अतिरिक्त इसके संरक्षण एवं सक्षम उपयोग की आवश्यकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए और सकल घरेलू उत्पाद की दर को 8 प्रतिशत से 10 प्रतिशत के बीच रखने हेतु सरकार ने अनेक नीतियों की शुरुआत की है, जो ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने के लिए इसके उत्पादन में वृद्धि के साथ सक्षम उपयोग को भी बढ़ावा देती है।

ऊर्जा हमारी अर्थव्यवस्था के लिए जीवनधारा है। उचित कीमत पर उपलब्ध ऊर्जा हमारी प्रतिस्पर्धा तथा जीवन स्तर के लिए केन्द्र बिन्दु है। हमारे समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा अत्यावश्यक है। पानी के बाद ऊर्जा तथा जलवायु परिवर्तन, वैश्विक सुरक्षा एवं विकास के लिए दो महत्वपूर्ण मुद्दों के रूप में उभरे हैं। हमें ऊर्जा की बढ़ती मांग के निराकरण के लिए नई रणनीति ढूंढनी होगी। विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए ऊर्जा आत्मनिर्भरता की नई व्यवस्था की आवश्यकता है। इस व्यवस्था में कई मुद्दों पर ध्यान देना होगा जैसे—

- ऊर्जा की कम खपत वाला विकास।
- गैर-पारम्परिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का अधिकाधिक इस्तेमाल ताकि कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके।
- उत्पादन तथा उपभोग की कार्यकुशलता में सुधार या ऊर्जा संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता।

ऐसी कोई भी रणनीति समन्वित विकास तथा घरेलू संसाधनों के बुद्धिमत्तापूर्ण इस्तेमाल पर आधारित होनी चाहिए, इसलिए राष्ट्रीय समेकित ऊर्जा नीति में मौजूदा ऊर्जा संसाधन विस्तार तथा नए एवं उभरते ऊर्जा स्रोतों पर ज्यादा बल दिया गया है। इस दृष्टि से ऊर्जा आपूर्ति और उपलब्धता राष्ट्रीय विकास रणनीति का महत्वपूर्ण अंग है। इस लक्ष्य को अर्जित करने का अर्थ है ऐसी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है, जो ऊर्जा कुशलता को यथासंभव बढ़ाए एवं मांग प्रबंधन तथा ऊर्जा संरक्षण को सुनिश्चित करे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए औद्योगिक जगत को सरकार, गैर सरकारी संगठनों तथा नागरिक समाज से मिल कर बहुत सोच समझ कर योजनाएं बनानी होंगी।

पारम्परिक स्रोत जैसे ताप, जल एवं नाभिकीय ऊर्जा देश में ऊर्जा उत्पादन के प्रमुख स्रोत हैं। पारम्परिक स्रोत तेल और कोयला अतिमूल्यवान हैं, क्योंकि उनके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं और इसके अलावा ये खत्म भी हो सकते हैं। यह कटु सत्य भी है कि भविष्य में इनका मूल्य भी बढ़ सकता है, इसलिए इनका उपयोग बहुत सोच-समझ कर करने की जरूरत है, ताकि हम लम्बे समय तक इनका उपभोग कर सकें। ऊर्जा दक्षता सुधार, न केवल प्रति इकाई उत्पाद के ऊर्जा उपभोग में कमी लाता है, बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा में सुधार ला कर ऊर्जा स्रोतों की उपयुक्त कीमतों पर लगातार उपलब्धता को बनाए रखता है।

ऊर्जा संरक्षण को व्यापक और प्रभावी बनाने की दृष्टि से हमारे देश में वर्ष 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। वर्ष 2002 में ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो (ब्यूरो आफ इनर्जी एफिसिएंसी-बीईई) की स्थापना की गई। सिर्फ नौ वर्ष में ही बीईई ने ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में भारत में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए गए हैं। जिनमें प्रमुख हैं :- बचत लैंप योजना, मानक एवं लेबलिंग, ऊर्जा संरक्षण के लिए बिल्डिंग कोड, कृषि तथा म्युनिसिपल डिमांड साइड मैनेजमेंट योजना, लघु तथा मध्यम



म. प्र. पावर ट्रांसमिशन कं. लिमि., जबलपुर

उपक्रमों में ऊर्जा दक्षता योजना, राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि योजना में अंशदान, बीईई की संस्थागत सुदृढ़ता, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार और ऊर्जा संरक्षण पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन। इन सभी उपायों का प्रभाव अंत में इस बात पर निर्भर करता है कि ऊर्जा उपभोक्ता कैसे इन्हें स्वीकार करते हैं एवं उनकी ऊर्जा बचत करने के उपलब्ध अवसरों के संबंध में कितनी जानकारी है। इसी को ध्यान में रखते हुए और लोगों के बीच खासतौर से बच्चों में जागरूकता बढ़ाने के लिए समग्र प्रयास होने चाहिए।

ऊर्जा का युक्तियुक्त उपयोग ही ऊर्जा संरक्षण का मार्ग है। विद्युत या अन्य ऊर्जा का उपयोग इस प्रकार हो कि वांछित कार्य पूर्ण हों, लेकिन ऊर्जा का अपव्यय नहीं हो। ऊर्जा संरक्षण का उद्देश्य, ऊर्जा का समुचित उपयोग करते हुए, ऊर्जा की बर्बादी को रोकना है। जब आप ऊर्जा का युक्तियुक्त उपयोग करते हुए बर्बादी पर नियंत्रण रखते हैं, तब ही आप बचत भी कर लेते हैं। यह बचत आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करती है। इस प्रकार ऊर्जा संरक्षण उपभोक्ता का स्वार्थ सिद्ध करता है। बिजली बचत या ऊर्जा संरक्षण के लिए कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं करनी होती, जरूरी होती है थोड़ी सी सतर्कता तथा जागरूकता। सतर्कता- इसके लिए कि कार्य होने पर तत्काल स्विच बंद कर दिया जाए और जागरूकता- नवीन अनुसंधानों, प्रौद्योगिकी तथा उपकरणों पर नजर रखने की। उपभोक्ता सतर्कता का उपयोग करते हुए विद्युत प्रणाली को मूल्यवान सहयोग प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम विद्युत की सायंकालीन शीर्षस्थ मांग के समय 6.30 से रात्रि 10.00 बजे तक, जब व्यवसायिक उपयोग, रोशनी के लिए अधिकतम बिजली की मांग होती है, तब उपभोक्ता गीजर, एअर कंडीशनर, पम्प-मोटर, ओवन आदि का उपयोग न करके मूल्यवान सहयोग दे सकते हैं। हमें यह ध्यान रखना होगा कि बिजली की शीर्षस्थ मांग के समय बिजली की मांग को सीमित कर देने से विद्युत हानि में कमी लाई जा सकती है, जिससे निश्चित रूप से बहुमूल्य विद्युत ऊर्जा की बचत होगी। जिनका उपयोग ऊर्जा संरक्षण में मददगार होता है। ऊर्जा की बचत पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का माध्यम है, तो फॉसिल फ्यूल की बचत आगामी पीढ़ी के लिए धरोहर। ऊर्जा संरक्षण से जुड़े ऐसे ही परस्पर संबद्ध अनेक लाभ हैं। 11 वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के दौरान 10,000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता के बराबर ऊर्जा की बचत का लक्ष्य रखा गया है। अब तक किए गए प्रयासों से वर्ष 2007-08 से वर्ष 2009-10 तक लगभग 5000 मेगावाट की परिहार्य क्षमता उत्पादन को हासिल किया गया है। वर्ष 2009-10 में हासिल परिहार्य क्षमता 2868.01 मेगावाट है। मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम से 4350.92 मिलियन यूनिट की बचत हुई और इससे परिहार्य उत्पादन 2179.31 मेगावाट रहा एवं कुल ईंधन बचत 1.3625 एमटीओई रही। उद्योग ईसी अचार्ज से 2450.60 मिलियन यूनिट की बचत हुई और इससे परिहार्य उत्पादन 358.60 मेगावाट रहा एवं कुल ईंधन बचत 2.005 एमटीओई रही। इसी प्रकार राज्य द्वारा नामांकित एजेंसियों (एसडीए) के माध्यम से की गई बचत से 1874.25 मिलियन यूनिट की बचत हुई और इससे परिहार्य उत्पादन 304.59 मेगावाट रहा, वहीं इससे ईंधन बचत 0.5875 एमटीओई रही। भवनों में ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम की बदौलत 21.06 मिलियन यूनिट की बचत हुई और इससे अपरिहार्य उत्पादन 3.08 मेगावाट रहा, जिससे 0.0066 एमटीओई की ईंधन बचत हुई। बचत लैम्प योजना से देश में 24 मिलियन यूनिट की बचत हुई और इससे 22.43 मेगावाट परिहार्य उत्पादन हुआ तथा कुल 0.0075 एमटीओई ईंधन बचत हुई।

मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने अपने स्तर पर ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में व्यापक प्रयास किए हैं। कंपनी स्तर पर विभिन्न कार्य योजना के क्रियान्वयन से पारेषण हानि को निरंतर कम करने में हम सफल हुए हैं और हमारे इस प्रयास को मान्यता भी मिली है। पारेषण प्रणाली में उच्च गुणवत्ता के ट्रांसफार्मर एवं अन्य उपकरणों का ही उपयोग सुनिश्चित किया गया है, जिससे न केवल ऊर्जा संरक्षण का लक्ष्य अर्जित किया गया है, बल्कि प्रणाली की उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। हमारी कंपनी ने पारेषण प्रणाली की उपलब्धता तथा विश्वसनीयता में सतत वृद्धि भी सुनिश्चित की है।

हमने कंट्रोल रूम में पारम्परिक बल्बों के स्थान पर 450 एलइडी बल्ब, कार्यालयों व कंट्रोल रूम में पारम्परिक व फ्लोरोसेंट बल्बों के स्थान पर 200 सीएफएल और अति उच्चदाब उपकेन्द्रों में हेलोजन लैम्प के स्थान पर 15 सोडियम वेपर लैम्प से परिवर्तित किया गया है। इस पहल के कारण अति उच्चदाब उपकेन्द्रों के आकजलरी कंजम्पशन में 33,000 यूनिट की कमी आई है। इसी प्रकार कंपनी के लिए क्रय की जाने वाली आवश्यक सामग्री व उपकरणों में थ्री स्टार लेबल्ड उत्पाद को प्राथमिकता दी जा रही है। मैं कंपनी के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपेक्षा करता हूँ कि वे कार्यालयीन के साथ अपने घरेलू कार्यों में भी बिजली बचत को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

(रमेश कुमार वर्मा)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर



म. प्र. पावर ट्रांसमिशन कं. लिमि., जबलपुर